

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 3026 वर्ष 2026**

अजय यादव एवं 2 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ

..... विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : पंकज कुमार त्रिपाठी, नीतू वर्मा

विपक्षीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 310(2), 317(3), 113(3), 61(2) बीएनएस, थाना तलगांव, जनपद सीतापुर में, उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के कथन हैं कि आवेदकगण निर्दोष व्यक्ति हैं तथा उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है, उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे दिनांक 24.01.2026 से जेल में हैं। आवेदकगण का मामला सह-अभियुक्त ओमकार, रणजीत,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपेंद्र तथा सलीम उर्फ बड़क्के उर्फ पतरके उर्फ मझल्के के समान है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2256 वर्ष 2026, 2072 वर्ष 2026, 2724 वर्ष 2026 तथा 2983 वर्ष 2026 में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में, आवेदकगण भी जमानत के अधिकारी हैं। जमानत पर रिहा किये जाने की दशा में, वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सह-अभियुक्त ओमकार, रणजीत, उपेंद्र तथा सलीम उर्फ बड़क्के उर्फ पतरके उर्फ मझल्के के जमानत आदेशों की छायाप्रतियां अभिलेख पर ली जाती हैं।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदकगण को जमानत प्रदान किये जाने की प्रार्थना का विरोध करते हैं, किंतु निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते हैं कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त ओमकार, रणजीत, उपेंद्र तथा सलीम उर्फ बड़क्के उर्फ पतरके उर्फ मझल्के को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिपक्षी कथनों, सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार पर विचार करते हुए तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता का अवलोकन करने पर, मेरा मत है कि यह जमानत हेतु उपयुक्त मामला है। प्रार्थना पत्र समानता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदकगण - अजय यादव, विजय यादव तथा सतानंद उर्फ सदानंद को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15 वर्ष 2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा उतनी ही धनराशि के दो-दो विश्वसनीय प्रतिभूओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

(1) आवेदकगण उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेंगे, जिसके वे अभियुक्त हैं, या संदिग्ध हैं, अथवा जिसके कारित किये जाने के वे संदिग्ध हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(2) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेंगे।

(3) आवेदकगण इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेंगे कि वे साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेंगे। इस शर्त का पालन न होने की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(4) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेंगे। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति की दशा में, विचारण न्यायालय धारा 269 बीएनएसएस के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(5) यदि आवेदकगण विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदकगण ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तब विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 209 बीएनएसएस के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(6) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष (क) मामले के प्रारंभ, (ख) आरोप विरचन; तथा (ग) धारा 351 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान अंकित किये जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदकगण की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तब विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जायेगा तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय इस विषय में जमानत निरस्तीकरण के संबंध में उचित आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

10 जून, 2026

वी.के.एस./-

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।